न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 21/2017 (उदयपुर आर्डर)

कृपाशंकर पिता वक्ता जी ताबियाड़, जाति मीणा, निवासी ग्राम पाटिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत पाटिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.) जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पाटिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. ग्राम पंचायत पाटिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर जरिये पदेन सचिव, ग्राम पंचायत पाटिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1956 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा दिनांक
14–07–2017 प्रकरण सं. 19/2016

———/———

उपस्थित :– 1– श्री भगवतसिंह शक्तावत अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे. 3

———::———

निर्णय **दिनांक 28–09–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा विपक्षीगण/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पाटिया में आराजी 371 रकबा 1.65 हैक्टर भूमि स्थित होकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, जिसमें विपक्षी संख्या 1 व 2 का कोई हक, हिस्सा, स्वामित्व व आधिपत्य नहीं है। प्रार्थी ने उक्त भूमि दिनांक 26–04–1985 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अर्जुनसिंह पिता देवीसिंह

राजपूत से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, तब से उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज चला आ रहा है एवं हर वर्ष फसल ले रहा है। प्रार्थी का मूल व्यवसाय नौकरी होने से वह अक्सर हिम्मतनगर आता जाता रहता है, जिससे विपक्षीगण के मन में बदनियति आ गयी एवं वह प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि पर अविधिक रूप से अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कार्य कराकर काबिज होना चाहते हैं। दिनांक 26–06–2016 को प्रार्थी की उक्त भूमि पर जबरन जे.सी.बी. मशीन लगाकर नीवें खोदना शुरू कर दी, जिसे प्रार्थी के भाई ने मौके पर जाकर रूकवाया, लेकिन विपक्षीगण नहीं माने एवं गाली गलौज पर उतारू हो गये तथा धमकी दी कि तुम्हारी आराजी में आने–जाने का रास्ता बन्द कर देंगे, जिस पर प्रार्थी ने फौजदारी प्रकरण भी दर्ज करवाया, फिर भी विपक्षीगण आपराधिक अतिक्रमण के जरिये अवैध निर्माण नहीं रोक रहे हैं। निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि पर किसी प्रकार के अतिक्रमण एवं उसके रास्ते को अवरूद्ध करने की संभावना के दृष्टिगत उसे अस्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रार्थी के उक्त आवेदन के सन्दर्भ में ग्राम पंचायत पाटिया द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जिला कलक्टर द्वारा मनरेगा के दृष्टिगण ग्राम पंचायतों में भण्डारण गोदाम निर्माण कार्यो की स्वीकृति प्रदान की दी, जिन निर्देशों के क्रम में ग्राम पंचायत द्वारा बिलानाम आराजी नंबर 941 का चयन किया गया। इस आराजी पर पूर्व में दो सरकारी भवन ऑगनबाडी केन्द्र एवं पशु चिकित्यालय बने हुए हैं। उक्त कार्य प्रारम्भ करने हेतु भूमि को समतल कराया जा रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पर निरर्थक है।

प्रकरण में प्रार्थी के आवेदन पर अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट भी तलब की, जो पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण में लोक अदालत में प्रार्थी को सुनने के बाद कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 14–07–2017 को खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 23–08–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 दिनांक 22–11–2017 को स्वयं उपस्थित हुए, परन्तु वक्त बहस उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 राज्य सरकार की ओर से राजकीय

अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट में अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं विधि के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है। अपीलान्ट आराजी नंबर 371 का रेकार्डेड खातेदार है। अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की मनमकसूद रिर्पोट को मान्यता दी है। अधिनस्थ न्यायालय में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है उसमें भी यह प्रकट आया है कि पंचायत द्वारा करवाया जा रहा निर्माण अपीलान्ट की आराजी में स्थित है। अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी नंबर 941 पर निर्माण किया जाना माना है, जिसकी किस्म रास्ता है तथा रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करवाया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने त्रुटि पूर्ण निर्णय पारित किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो प्रकट आया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, उसमें भी यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि पूर्व में अन्य भण्डार की नींव प्रार्थी की जमीन पर बन रही थी। प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट की आराजी नंबर 371 पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो इस हद तक प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलान्ट/प्रार्थी के पक्ष में बनता है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं माना है। इससे अतिरिक्त यह भी सुस्पष्ट है कि आराजी नंबर 941 की किस्म रास्ता है। यदि उक्त रास्ते की भूमि पर कोई निर्माण कार्य कराया जाता है तो प्रार्थी की भूमि में जाने हेतु उसे रास्ता उपलब्ध कराये जाने की हद तक प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलान्ट/प्रार्थी के पक्ष में बनता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को नजर अंदाज कर प्रार्थी

का प्रथम दृष्टया मामला नहीं माना है, जबकि हम हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन के दृष्टिगत प्रथम दृष्टया मामला अपीलान्ट/प्रार्थी के पक्ष में पाते हैं एवं इस हद तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी उसके पक्ष में पाते हैं, तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14–07–2017 अपास्त किया जाता है तथा विपक्षीगण/रेस्पोन्डेन्टगण को मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी नंबर 371 ग्राम पाटिया में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें तथा प्रार्थी की आराजी नंबर 371 में आने–जाने के लिए आराजी नंबर 941 से होकर यदि कोई रास्ता विद्यमान है तो उपयुक्त रास्ता आराजी नंबर 371 के लिए छोड़ते हुए ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य आराजी नंबर 941 पर किया जावे।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–09–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर